REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 3 | DECEMBER - 2018

"महिला उत्पीडन : वैश्विक परिदृश्यका विश्लेषणात्मक अध्ययन

प्रीतान्जली सिंह[1] , डॉ. एस. पी. सिंह[2]
[1]शोधार्थी शा. (स्वशासी) टी. आर. एस. उत्कृष्ट महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)
[2]प्राचार्य शा. विधि महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

सारांश:-

प्रत्येक देश की आधी आबादी महिलाओं पर आधारित होती है लेकिन यह एक विडम्बना है कि अधिकतर समाजों में महिलाओं की स्थिति निम्न है और उन्हें यौन या शारीरिक हिंसा का शिकार होना पडता है। वास्तव में महिलाओं की समाज में निम्न स्थिति का कारण शिक्षा, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक है जो उसे पुरूषों के अधीन रखते है। सामाजिक विचार धाराओं, संस्थागत रीति–रिवाजों और समाज में प्रचलित प्रतिमानों ने उनके उत्पीडन में काफी योगदान दिया है। NCRB 2014 के रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक दशक में महिलाओं के खिलाफ अपराध दोगुने हुए है। यहॉ लगभग हर दो मिनट में ऐसी एक शिकायत दर्ज होती है। बलात्कार महिलाओं के खिलाफ हिंसा का वीभत्सतम रूप है। जिसकी त्रासदी समूचे विश्व में महिलाओं को झेलनी पडती है। महिलाओं के खिलाफ कूरता, शीलभंग, छेडछाड, दहेज अपराध, घरेलू हिंसा, मानव तस्करी, साइबर हिंसा, भद्दे ई–मेंल, अष्लील संदेश, ऑनर किलिंग एसिड अटैक्स, स्टाकिंग एवं वायुरिज्म की घटनाऍ होती है।

महिलाओं के लिए पहले से बने लगभग 20 कानून औरतों को सुरक्षा देने में पूरी तरह कामयाब नही हो सके है। आज आवश्यकता इस बात की है कि कानूनो का कडाई से पालन किया जाय वस्तुतः स्त्री कसे सशक्त किया जाय, स्त्री सशक्तिकरण उसकी चेतना अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता से पूरी तरह जुडा हुआ हैं। औरतों को आत्म निर्भर बना दिया जाए उसकी संवेदनशीलता कम करने के लिए उसे घर से बाहर निकलने का अवसर दिया जाय। बाहर के दुनिया से सम्पर्क बढेगा तो वह खूद को संभालने में सक्षम होगी तथा मनोवैज्ञानिक रूप से ताकतवर होगी। महिलाओं के उपर आज दोहरी जिम्मेदारी है न केवल अपने विचार परिर्वतन की बल्कि परिवार व समाज परिवर्तन की जिम्मेंदारी भी उसी की है।

मुख्य शव्द : महिलाओं के विरूद्ध अपराध, महिलाओं का शोषण, बलात्कार, संवेदनशीलता।

प्रस्तावना :

प्रत्येक देश की आधी आबादी महिलाओं पर आधारित होती है। लेकिन यह एक विडम्बना है कि समाज में महिलाओं की स्थिति अत्यंत विरोधाभासी रही है। एक तरफ उसे शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है, तो दूसरी ओर उसके खिलाफ अपराध और हिंसा की जाती है इन दोनों ही अतिवादी धारणाओं ने नारी के स्वतंत्र विकास में बाधा पहुंचाई है। युग नायक स्वामी विवेकानंद ने वर्षो पहले कहा था किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है वहॉ की महिलाओं की स्थिति, इस लिहाज से देखा जाए तो अधिकतर समाज इस पैमाने पर खरे नही उतरते।

नारी सृष्टि का आधार है वह नर की सहधर्मिणी है। अपने सहज स्वभाविक गुणो में ही उसका नारीत्व है। उसके दिव्य गुणों के कारण की हमारे ग्रन्थों में 'यंत्र–नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता' कहकर उसका सम्मान किया गया है। इतिहास गवाह है कि जिन समाजों में महिलाओं को बराबरी अथवा उच्चतर दर्जा दिया गया है वे विकास व प्रगति की दौड में अपने समकालीनों से मीलो आगे रहे है। नेपोलियन–बोनापार्ट जैसे

सेनानायक ने महिलाओं को शिशु व समाज दोनों की आनुशंगिक पाठशाला स्वीकारते हुए एक महान राष्ट्र के निर्माण में उनकी उपादेयता यूं ही अकारण स्वीकार नही की थी, जो शक्ति नारी के दो शव्दों में है वो हुजूम के नारों में नही।

किसी भी अच्छे समाज की पहचान उस समाज की महिलाओं से मानी गई है। एक अच्छी मॉ ही अच्छे गुणों का विकास कर सकती है और देश को अच्छे नागरिक दे सकती है। स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा है कि अच्छें सपूतों ओर नागरिकों के लिए अच्छी माताऐं होना अति आवश्यक है। पूरी दुनिया में समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी नही रही लेकिन वर्तमान में इस स्थिति में भारी सुधार देखने को मिल रहा है।

आज यदि हम अपने बदलते परिवेश में समाज की दशा में दृष्टिपात करते है तो बहुसंख्या में महिलाओं के प्रति पनप रही हिंसा में लगातार बृद्धि को पाते है। अगर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाये तो स्त्री मुक्ति का प्रष्न पूरे समाज से जुडा है।

उद्देश्यः

भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाले हिंसा को रोकने के लिए पहले से बने कई कानूनो को और कठोर बनाने का प्रयास केन्द्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। आपराधिक कानून अधिनियम 2013 में संशोधन की बात की जा रही है, संशोधन में बलात्कार की परिभाषा बदलकर की सजा 7 साल से बढाकर आजीवन कारावास की जायेगी। इसके अलावा एसिड हमले, यौन उत्पीडन, छिपकर देखने, महिला को निर्वस्त्र करने जैसे नये अपराधों को भी भारतीय दण्ड संहिता में शामिल किया जायेगा। इस कानून में पीडित को तत्काल राहत देने के लिए चिकित्सकों और सरकारी अधिकारियों को अधिक जबावदेह बनाया गया है।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार सेलफोन में एक पैनिक बटन लगाने की योजना बना रही है जो जीपीएस से जुडा होगा। पीडित महिलाओं के पूनर्वास के लिए सरकार ने एक निर्भया फण्ड की स्थापना की है। पुलिस बबल में महिलाओं की मौजूदगी को बढाने हेतु केन्द्रशासित प्रदेशों और कुछ राज्यों में पुलिस बल में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है साथ ही महिला स्वयं सेवकों की भर्ती की जा रही है। जिनका काम आस–पास के इलाकों में घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज उत्पीडन जैसे मामलों का रिपोर्ट करना है।

शोध विधि:-

शोध विषय से संबंधित सामग्री (पुस्तकें, शोध आलेख, रिपोर्ट, न्यायालयीन टिप्पणियॉ, विधिक निर्णय) का संकलन कर चिन्तन, मनन एवं विश्लेषण के माध्यम से शोध निर्देशक की सलाह अनुसार निष्कर्ष ज्ञात किया जायेगा। साथ ही सांख्किीय पद्धति के द्वारा एकत्रित तथ्य एवं आंकडों द्वारा संबंधित अपराधों का अध्ययन–विश्लेषण।

विश्लेषणः–

भारत की संस्कृति विरोधाभासों से भरी हुई है। 10 मई 2009 को मदर्स डे मनाया गया हिन्दुस्तान पत्रिका ने एसएमएस से द्वारा सर्वेक्षण किया । इस सर्वेक्षण के पाठकों के समझ मॉ के सात विविध रूप रखे गये और जानने की कोशिश की गई कि मॉ का कौन सा रूप उन्हे मनोहरी लगता है 36.65 प्रतिशत ने मॉ को जननी माना, 24.59 प्रतिशत ने मॉ को सरस्वती माता माना, जबकि 16.33 प्रतिशत ने मॉ को संस्कारदायनी माना।

महिलाओं के खिलाफ अपराध से कोई देश अछूता नही रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन डिपार्टमेण्ट आफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ एण्ड रिसर्च के 2013 के ऑकडे कहते है कि दुनिया भर की 35 प्रतिशत महिलाओं को किसी न किसी स्थिति में अपने इनटिमेट पार्टनर (अंतरंग साथी) की हिंसा का शिकार होना पडता है। वह यौन या शारीरिक हिंसा कुछ भी हो सकता है जब कि कुछ देशों में 70 प्रतिशत महिलाओं को यह यातना झेलनी

पडती है। वास्तव में महिला की समाज में निम्न स्थिति का कारण शिक्षा, आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक है, जो उसे पुरूषें के अधीन रखते है। इस कारण ही व्यक्ति उसका मनचाहा शोषण करता है यह शोषण शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार का है, बलात्कार भी उसी में से एक है।

संयुक्त राष्ट्र के संगठन यूएनओडीसी के 2014 के अनुमानों के अनुसार साल 2012 में विश्व में महिलाओं की कुल हत्याओं में से आधी अंतरंग साथी या परिवार के किसी सदस्य द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यूरोपीय संघ के 28 देशेा में 43 प्रतिशत महिलाओं को किसी न किसी प्रकार के मनोवैज्ञानिक शोषण का सामना करना पडता है। इसके अतिरिक्त विश्व में 70 करोड महिलाओं की शादियॉ 18 वर्ष से कम उम्र में कर दी जाती है। इनमें हर तीन में से एक लडकी की शादी 15 वर्ष से कम उम्र में होती है। इतनी उम्र में वे किसी यौन सम्बन्ध से इनकार नही कर पाती जिसका नतीजा कम उम्र में गर्भधारण ओर यौन संक्रमण होता है। संयुक्त राष्ट्र वूमेन का ऑकडा यह भी कहता है। कि विश्व स्तर पर 12 करोड लडकियों को जबरन यौन सम्बन्ध के लिए मजबूर किया जाता है यह बलात्कार का ही एक दूसरा रूप है। वर्ष 2016 जीरो टॉलरेंस फॉर वूमेन जेनिटज म्यूटिलेशन पर संयुक्त राष्ट्र अन्तराष्ट्रीय दिवस पर जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि विष्व की लगभग 20 करोड महिलाओं को यौन हिंसा के कारण अपनी देह खासकर अपनी जननांगों के क्षत–विक्षत होने की यंत्रणा झेलनी पडती है। महिलाओं की शारीरिक स्थिति जैसे विकलांगता या उसकी जाति भी उसके खिलाफ हिंसा की आंशका बढाती है। हिंसक झडपों, दंगो के दौरान या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में भी महिलाओं की संवेदनशीलता बढ जाती है। और उनके खिलाफ अपराध बढते है।

भारतीय समाज में महिलाएं एक लम्बे काल से अवमानना, यातना और शोषण की शिकार रही है, जितने काल से हमारे पास सामाजिक संगठन और पारिवारिक जीवन के लिखित प्रमाण उपलब्ध है। सामाजिक विचारधाराओं, संस्थागत रिवाजों और समाज मे प्रचलित प्रतिमानों ने उनके उत्पीडन में काफी योगदान दिया है जबकि यहॉ शाक्ति के रूप में स्त्रियों की उपासना होती है। किन्तु अपराध और हिंसा का शिकार भी उन्हें ही सबसे ज्यादा होना पडता है। नेशनल क्राइम रिकार्डस व्यूरो के वर्ष 2014 के अनुसार पिछले दस वर्षो में महिलाओं के खिलाफ अपराध दोगूने हुए है। पिछले एक दशक में महिलाओं के खिलाफ 22.40 लाख अपराध दर्ज हुए है। इंण्डिया स्पेंड के एक सर्वेक्षण के मुताबिक देश मे हर घंटे में 26 हिंसक मामले महिलाओं के खिलाफ दर्ज होते है। लगभग हर दो मिनट में ऐसी एक शिकायत दर्ज होती है।

बलात्कार महिलाओं के खिलाफ हिंसा का वीभत्सतम रूप है जिसकी त्रासदी समूचे विश्व में महिलाओं को झेलनी पडती है। अमेरिकन मेंडिकल एसोसिएशन का कहना है कि अधिकतर बलात्कार किसी परिचित द्वारा ही किया जाता है। विश्व में बलात्कार की सबसे अधिक घटनाएँ यूथोपिया में होती है, यहॉ लगभग 60 प्रतिशत महिलाएँ यौन उत्पीडन झेलती है। इसके बाद क्रमशः श्रीलंका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, भारत, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका में बलात्कार की घटनाएँ होती है।

देश भर में महिलाओं के खिलाफ होने वाले मुख्य अपराधों में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498, पति या संबन्धियों द्वारा की गई क्रूरता का सबसे बडा हिस्सा है, पिछले दस वर्षो में ऐसे 9.09.713 मामले दर्ज किये यानी एक घण्टे में 10 मामले दर्ज हुए। महिला के शील को भंग करने के इरादे से उस पर हमला करना जिसे पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत छेडछाड के रूप में वर्गीकृत किया जाता था पिछले एक दशक में महिलाओं के खिलाफ दूसरा सबसे बडा अपराध है। अपहरण तीसरा सबसे बडा अपराध है। जिसके 4,70,556 मामले दर्ज किये गये। बलात्कार और उत्पीडन का नम्बर इसके बाद आता है। पिछले दस वर्षो में दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अन्तर्गत 66,000 से अधिक मामले दर्ज किये गये है। इन मामलों की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये ऑकडे दर्ज अपराधों के है। जहॉ तक घरेलू हिंसा का सवाल है, अक्सर सामाजिक और पारिवारिक सम्मान की दुहाई देकर ऐसे मामलों को दर्ज नही किया जाता है। उसे घर में ही सुलझाने के बाबत परिवार के बीच छिपा दिया जाता है।

एनसीआरबी के ऑकडों के अनुसार भारत में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में आधे से अधिक अपराध 54.1 प्रतिशत केवल पॉच राज्यों उत्तर प्रदेश 13.3 प्रतिशत, मध्य प्रदेश 12.1 प्रतिशत, महाराष्ट्र 10.9 प्रतिशत,

राजस्थान 9.35 प्रतिशत, आन्ध्र प्रदेश 8.5 प्रतिशत, में मिलता है तथा शेष 45.9 प्रतिशत अपराध 24 राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में मिलता है।

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के अपराधकर्ताओं में वे लोग सम्मिलित होते है जो अवसाद ग्रस्त होते है, जिनमें वैयाक्तिक दोष होते है, जिनके पास संसाधनों, प्रवीणताओं और प्रतिभावों की कमी होती है, जिनकी प्रवृत्ति में मालिकानापन, शक्कीपन, और प्रबलता है, जिनका पारिवारिक जीवन तनावपूर्ण है, जो बचपन में हिंसा के शिकार हुए हो।

यूएनओडीसी का एक सर्वेक्षण बताता है कि महिलाएँ ही सबसे अधिक मानव तस्करी की शिकार होती है तस्करी की शिकार तीन बच्चों में से दो लडकियॉ होती है। मूलभूत अधिकारों पर यूरोपीय संघ एजेंसी की रिपोर्ट कहती है कि हर 10 में से एक महिला साइबर हिंसा से पीडित है यह हिंसा का एक आधुनिक रूप है जो बदलती तकनीकी के साथ अपना पैर जमा रहा है लडकियों को 15 वर्ष की उर्म से ही भद्दे ईमेल या एस एम एस का शिकार होना पडता है। इसमें शोसल नेटवर्क साइट्स पर अष्लील संदेश भेजना भी शामिल है।

भारत में एन एफ एच एस के सर्वेक्षण कहते है कि देश में 15 से 49 वर्ष की महिलाओं को सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा का शिकार होना पडता है। यहॉ हर नौ मिनट में ऐसा कोई न कोई मामला जरूर दर्ज होता है। जिसमें महिला को उसके पति या पति के किसी रिश्तेदार द्वारा हिंसा का शिकार बनाया जाता है। महिलाओं के विरूद्ध हिंसा विवाह के सन्दर्भ में अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, जबकि पति जिसके लिए यह समझा जाता है कि वह अपनी पत्नी से प्रेम करेगा, उसे पीटता है एक स्त्री के लिए उस आदमी द्वारा पीटा जाना जिस पर वह सर्वाधिक विश्वास करती थी एक छिन्न–भिन्न कर देने वाला अनुभव होता है।

महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध का एक स्वरूप ऑनर किलिंग भी है। पूरी दुनिया में लाखों औरतें पतियों, पिता, किसी रिश्तेदार या भाई द्वारा सिर्फ इस लिए मार दी जाती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उन्होने परिवार का नाम बदनाम किया है। शादी से मना करने, अपनी पसंद से शादी करने, या कपडे पहनने, घर छोड कर चले जाने, जैसे मामलों के कारण उनकी हत्या कर दी जाती है। अफगाानिस्तान, मिश्र, ईरान, जोर्डन, लेबनान, लीबिया, मोरक्को, सऊदी अरब, तुर्की, सीरिया, से लेकर भारत तक में यह आम बात है। पुरूषों द्वारा महिलाओं पर अपनी इच्छा थोपने में असफल होने पर 34 प्रतिशत हमले पुरूषों द्वारा किये जाते है। जिससे एसिड फेकने की घटनाएँ भी है भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और कंबोडिया में एसिड हमला सामान्य है।

बी बी सी न्यूज की रिपोर्ट हाउ मैनी एसिड अटैक्स आर देयर में कहा गया है कि लगभग 72 प्रतिशत एसिड अटैक्स में महिलाएँ ही शिकार होती है। इसके अलावा महिलाओं के विरूद्ध होने वाली एनसीआरबी के वर्ष 2014 के अनुसार 4700 मामले स्टाकिंग और 674 वायुरिज्म के मामले दर्ज किये गयें है। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1987 से लेकर 2003 तक 2556 महिलाओं की हत्या इस कारण कर दिया गया क्योंकि लोगों को लगता था कि वे चुडैल या डायन है।

सेन्टर फॉर साइंस एण्ड एनवायरमेंट के अध्ययनों में यह बात सामने आयी कि आपदा कोई भी हो सूखा, बाढ, भूकम्प, या फिर दंगा फसाद, जातीय हिंसा, उसका सबसे अधिक शिकार महिलाएं ही होती है। उत्तराखण्ड की बाढ में ऐसे कई मामले सामने आये थे। इसके अलावा जातीय हिंसा, दंगो या सामाजिक आन्दोलनों में भी महिलाओं को कितना नुकसान उठाना पडता है, यह किसी से छिपा नही है। हरियाणा का मुरथल सामुहिक बलात्कार इसका हाल का उदाहरण है।इससे पहले उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात दंगो के भयावह सच को कौन नही जानता है?

निष्कर्ष:

मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल कहता है कि महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ की जाने वाली हिंसा आज मानवाधिकार का सबसे बडा उल्लंघन है, दमन की दास्तां किसी एक देश की आप बीती नही है इसका हल क्या है? भारत में महिलाओं के विरूद्ध जिस प्रकार के हिंसा का रूप दिखाई देता है उसमें 60.4 प्रतिशत को घरेलू स्तर पर ही हल किया जा सकता है। महिलाओं के लिए पहले से बने लगभग 20 कानून

औरतों को सुरक्षा देने में पूरी तरह कामयाब नही हो सके है वस्तुतः स्त्री को सशक्त किया जाय, स्त्री सशक्तीकरण उसकी चेतना अपने अधिकार के प्रति जागरूकता से पूरी तरह जुडा है, इडिण्यन हयूमन डेवलपमेंट सर्वे कहता है कि औरतों को आत्मनिर्भर बना दीजिए, उसकी संवेदनशीलता कम करने की सबसे अच्छा तरीका यह है कि वह घर से बाहर निकले और काम करें। बाहर की दुनिया से सम्पर्क बढेगा तो वे खुद को संभालने में सक्षम होंगी और मनोवैज्ञानिक रूप से ताकतवर भी। महिलाओं के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है न केवल अपने विचार परिर्वतन की बल्कि परिवार व समाज परिवर्तन की जिम्मेदारी भी उसी की है।

संदर्भ ग्रंन्थ सूचीः

1. गैलेस रिचर्ड, जे. दा वाइलेन्ट होम, ए स्टडी आफ फिजिकल एग्रेसन बिटवीन हसबैन्ड एण्ड वाइफ, सेग पब्लिकेशन वेवर्ली हिल्स कैलीफोर्निया 1974.
2. अहुजा राम, वाइलेंन्स अगेन्स वोमेन, रावत पब्लिकेशन जयपुर 1987.
3. योगेन्द्र नारायण शर्मा, 'बढता हुआ नारी उत्पीडन पुलिस के लिए चुनौती', उत्तर प्रदेश पुलिस पत्रिका, पी.टी. सी. प्रकाशन, 1 अक्टूबर, 1990.
4. फोर्थ वर्ल्ड कांफ्रेस आफ वीमन, वीजिगं 1995, पृष्ठ 98–99.
5. नेशनल क्राइम रिकार्ड व्यूरो, इण्डिया टुडे, एक रिपोर्ट, नई दिल्ली, 2000.
6. एम.एन. अन्सारी, महिला और मानवाधिकार, जयपुर : ज्योति प्रकाशन, 2003.
7. चौहान, एम.एस. "अपराध शास्त्र एवं आपराधिक प्रशासन", सेंन्ट्रल लॉ एजेंन्सी इलाहाबाद, 2003.
8. खेतान प्रभा, सीमोन द बोउवार "स्त्री उपेक्षिता", हिन्दी पॉकेट बुक्स, दिल्ली,2004.
9. 'अन्तार्राष्ट्रीय महिला कांग्रेस समापन समारोह', अमर उजाला, 30 नवम्बर,2005.
10. 'सूबे में महिला उत्पीडन के मामले बढे', अमर उजाला, 12 मई, 2006.
11. शिक्षा में भी आगे कन्या भ्रूण हत्या में भी आगे', अमर उजाला, 17 जनवरी, 2006.
12. 'आर्थिक आजादी के बिना घरेलू हिंसा से मुक्ति सम्भव नहीं', अमर उजाला, 27 जनवरी, 2006.
13. योजना वर्ष 53 अंक 10–योजना भवन, संसद मार्ग,नई दिल्ली 2008.
14. हिन्दुस्तान, 10 मई 2009.
15. यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एण्ड शोसल अफेयर्स की द वर्ल्डस वूमेन रिपोर्ट 2015.
16. व्लूमर डी. न्यूरोः साइचिआर्टिक अस्पेक्टस आफॅ वाइलेन्स विहेवियर यूनिवर्सिटी आफॅ टोरन्टो.
17. योजना वर्ष 60 अंक 9 योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली सितम्बर 2016.

प्रीतान्जली सिंह
शोधार्थी शा. (स्वशासी) टी. आर. एस. उत्कृष्ट महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

डॉ. एस. पी. सिंह
प्राचार्य शा. विधि महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

LBP PUBLICATION